

गोधन न्याय योजना

चर्चा में क्यों?

5 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बलरामपुर ज़िले के राजपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीद की जा रही है।
- गौठानों में महिला समूहों द्वारा इस योजना के अंतर्गत कर्य कयि गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार कयि जा रहा है, जसि सोसायटियों के माध्यम से शासन के वभिन्न वभिगों एवं कसिानों को रयियती दर पर प्रदान कयि जा रहा है।
- महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तयिँ एवं अन्य सामग्री का नरिमाण एवं वकिर्य कर लाभ अर्जति कर रहे हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्ज़ी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछलीपालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आयमूलक वभिन्न गतविधियों का संचालन कयि जा रहा है।
- गौठानों में कर्य गोबर से वदियुत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है। गोबर से प्राकृतिकि पेंट बनाने के लयि एमओयू हो चुका है, साथ ही गौठानों को रूरल इंडस्ट्रयिल पार्क के रूप में वकिसति कयि जा रहा है। यहाँ आयमूलक गतविधियों को बढ़ावा देने के लयि तेज़ी से कृषि एवं वनोपज आधारति प्रसंस्करण इकाइयों स्थापति की जा रही हैं।
- राज्य में गोधन के संरक्षण और संवर्द्धन के लयि गाँवों में गौठानों का नरिमाण तेज़ी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का नःशुलक बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,622 गाँवों में गौठानों के नरिमाण की स्वीकृति दी गई है, जसिमें से 8,397 गौठान नरिमति एवं संचालति हैं।